दूरसंचार विभाग

2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सख्या 55 (मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए), 2016 के 4 (वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी) तथा 2016 के 29 (मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए),2016 में संसद में रखी गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणीयों का सार।

स.न.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन
1	नवम्बर 2012 / मार्च 2013 में सम्पन्न 1800 मेगाहर्ट्ज / 800 मेगाहर्ट्ज स्पैकट्रम के लिये देय नीलामी राशि के विरुद्ध लाइसेंस धारकों, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित एवं निरस्त कर दिये गये थे, द्वारा 2008 में भुगतान किये गये गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ` 5476.30 करोड़ के समंजन ने सरकार को उस सीमा तक राजस्व से वंचित किया।
2	आपरेटरों को प्रशासनिक तौर पर निःशुल्क वर्ष प्रतिवर्ष 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैकट्रम का लगातार आबंटन / विस्तार करने के परिणामस्वरूप एकमुश्त प्रभारों की गैर-वसूली की वजह से सार्वजनिक कोष में उल्लेखनीय हानि हुई जिसको सरकार वसूल कर सकती थी, यदि इन्होंने इसकी नीलामी की होती। यह ट्राई की सिफारिश के बावजूद 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पैकट्रम की नीलामी की तथा इसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आशय एवं भावना का भी उल्लंधन किया।
3	भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार के निर्देशों, अपने ही लीगल डिवीजन तथा विधि, न्याय व कम्पनी मामलों की राय की अनदेखी करते हुये पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2014 तक ` 14.12 करोड़ का व्यय किया। भविष्य में व्यय तब तक किया जायेगा जब तक क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहेंगे।
4	नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले), राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल ने वर्ष 2008-2010 की अवधि में मैसर्स टाटा टेलि सर्विसेज लिमिटेड (टी टीएस ऐल) के द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर ` 71.49 करोड़ के फ्रंट लोडेड सब्सिड़ी वितरण के पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों (सी ए एफ) की सत्यता जांच किये बिना, अनुमति दे दी । आगे, औडिशा और केरल परिमण्डलों के नि सं ले ने दोहरे दावों पर ` 0.82 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान बी एस एन एल और रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को किया ।
5	एस टी एल, एक अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - I (अ प्र -I) पंजीकृत कम्पनी, जो कि केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के लाइसेंस धारकों की अवसंरचना समर्थन के लिये प्राधिकृत थी, अ प्र-I पंजीकरण के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कर रही थी। यघपि, टर्म सैल, पुणे द्वारा डी ओ टी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया, एक वर्ष के बाद भी कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिकक्षेत्र उपक्रम

स.न.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन
1	निजी / सरकारी संगठनों से तीन वर्षों से अधिक समय के लिये देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी बी एस एन एल द्वारा पट्टे पर दी गई लाइनों व परिपथों को चालू रखने के परिणाम स्वरूप छः दूरसंचार परिमंडल व एक दूरसंचार क्षेत्र में ` 223.99 करोड़ के बकाया का संचयन हुआ।
2	बी एस एन एल मध्य प्रदेश परिमंडल में अवसंरचना स्थलों के अनुचित रखरखाव के कारण

	निर्बाध मोबाइल सेवायें प्रदान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप दू वि को ` 22.27 करोड़ की शास्ति का भुगतान हुआ।
3	बी एस एन एल इंडियन टेलीफोन कार्ड, जिसे केवल जम्मू एवं कश्मीर में बिक्री के लिये बनाया गया था, की निगरानी करने में विफल रहा। यह सेवा कर व उस पर शासित के कारण ` 5.40 करोड़ की हानि के अतिरिक्त परिहार्य मुकदमेबाजी में फंसने में फलित हुआ।
4	नेशनल इनफारमेटिक सेन्टर सर्विसेज इंक (निकसी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अन्तर्गत एक अलाभकारी खण्ड 25 कम्पनी ने ` 2.11 करोड़ का परियोजना प्रोत्साहन, ` 48.87 लाख का परिवहन भत्ता, ` 16.58 लाख का मकान किराया भत्ता व ` 1.90 करोड़ की एल टी सी प्रतिपूर्ति अपने अधिकारियों को, जो नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर से प्रतिनियुक्ति पर थे, को 2010-11 से 2013-14 के दौरान भुगतान किया जोकि वित्त मंत्रालय / कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग / सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के उल्लघंन में था।
5	डिजिटल क्रास कनेक्ट सिस्टम उपकरणों की खरीद में बी एस एन एल की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के फल्स्वरूप इंटरफेस कार्ड निष्क्रिय हुए और दो परियोजना परिमण्डलों में ` 22.80 करोड़ की पूंजी अवरूद्ध हुई।
6	दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर), बी एस एन एल ने एम एच आर डी, मंत्रालय को, एम पी एल एस से नेशनल नालेज नेटवर्क (एन के एन) प्वाइंट आफ प्रजेंस (पी ओ पी) तक प्रदान किये गये। जी बी पी एस ई लिंक का बिल जारी नहीं किया। इसके कारण ` 6.07 करोड़ के बकाये का संचयन हुआ।

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा राजस्व हिस्सेदारी

राजस्व हिस्सेदारी भुगतान का सम्बंध सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित सकल राजस्व से है। सरकार को भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी का सटीक एवं सम्पूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि संचालक द्वारा जी आर / ए जी आर का अभिकलन लाइसेंस शर्तों के अनुसार था।

सरकार को भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी की सटीकता का आंकलन करने हेतु, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ने छः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं उदाहरणार्थ भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, आइडिया सैल्यूलर लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड व 2014-15 में सहायक के, 2006-07 से 2009-10 तक के लेखाओं के मूल लेखांकन अभिलेखों व दस्तावेजों का सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा द्वारा छः पी एस पी के अभिलेखों के सत्यापन से निर्दिष्ट हुआ कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि में ` 46045.75 करोड़ के कुल ए जी आर कम बताये गये। भारत सरकार एल एफ (` 3752.37 करोड़), एस यू सी (` 1460.23 करोड़) तथा वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये छः पी एस पी से देय ब्याज (` 7276.33 करोड़) के कारण कम भुगतान न करने से ` 12488.93 करोड़ के कुल राजस्व से वंचित रही।

31 मार्ज 2015 को एल एफ, एस यू सी व उस पर देय ब्याज के संचालक वार कम / भुगतान न करना नीचे की तालिका में दिया गया है :-

	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल	कुल
लाइसेंस फीस	719.46	522.56	1125.40	289.99	1019.16	75.80	3752.37
एस यू सी	347.49	227.29	381.85	133.27	338.52	31.81	1460.23
कुल लाइसेंस फीस + एस यू सी	1066.95	749.85	1507.25	423.26	1357.68	107.61	5212.60
ब्याज	1584.94	915.54	2221.29	541.63	1857.71	155.22	7276.33
कुल योग (लाइसेंस फीस + एस यू सी + ब्याज)	2651.89	1665.39	3728.54	964.89	3215.39	262.83	12488.93

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणीयों का सार

स.न.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन
1	निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिये वितरकों / डीलरों / अभिकर्ताओं / फ्रेचाजियों की नियुक्ति करते है तथा उनकों कमीशन / रियायतों आदि का भुगतान करते है । सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं (एयरटेल, वोड़ाफोन, आइड़िया सैलूलर, रिलायंस, टाटा टेलिसर्विसेस लि. और एयरसेल)में वितरकों / डीलरों / अभिकर्ताओं / फ्रेचाजियों को भुगतान किए गए कमीशन / रियायत आदि की राशि को शामिल न करके दूरसंचार विभाग को बताये गए जीआर / एजीआर को कम किया है।इसके कारण जी आर / ए जी आर ` 5672.66 करोड़कम बताए गये, जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमश:` 487.09 करोड़ एवं ` 203.38 करोड़ का कम भुगतान हुआ ।
2	निजी सेवा प्रदाता विभिन्न अवसरों पर अपने प्रीपेड़ ग्राहकों के फ्री टाक टाइम / फ्री एयर टाइम (एफटीटी/एफएटी) जैसे अलग-अलग आफर उपलब्ध करातें है।लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने सवर्द्धन योजनाओं (प्रमोशनल आफर्स) को राजस्व के रुप में स्वीकार नहीं किया है । राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जीआर/एजीआर हेतु इन आफरों को राजस्व के रुप में पहजाना जाना चाहिए क्योंकि युएएसएल अनुबंधो के अनुसार ऐसे सवर्द्धन आफर व्यापार व्यय की प्रकृति के होते है । लेखापरीक्षा ने इस प्रकरण में जीआर/एजीआर में`8960.81 करोड़ की कम आंकने की राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी परक्रमश:` 784.28 करोड़ एवं` 271.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ ।
3	लेखापरीक्षाने पाया कि एयरटेल, वोड़ाफोन, आइड़िया, टाटा एवं एयरसेल के द्वारा पोस्टपड ग्राहकों

	को दी गई रियायत /वेवर को उनके राजस्व से घटा दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत टैरिफ प्लान पर पोस्डपेड़ ग्राहकों को दी गई एसी रियायत/वेवर व्यापार व्यय की प्रकृति का होता है तता राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जीआर/एजीआर को बताने हेतु राजस्व से इनको घटाना लाइसेंस अनुबंधों के अनुरुप नहीं है। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में इस लेखा पर` 1622.18 करोड़ की कम राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमश: ` 148.94 करोड़एवं` 66.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ।
4	निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आपरेटरों के साथ रोमिंग सेवाओं के लिये व्यवस्था है । यह देखा गया है कि एयरटेल, वोड़ाफोन एवं आइड़िया ने इन आपरेटरों के लेखा में भुगतान /जमा किए गए इन्टर आपरेटर ट्रेफिक (आईओटी) छूट को रोमिंग राजस्व से निकाला /घटा दिया गया। ये छूट व्यय की प्रकृति के है और इसलिये लाइसेंस अनुबंध के शर्तो के अनुसार ये राजस्व से कटौति नहीं की जानी चाहिए । लेखापरीक्षा जीआर /एजीआर में इस लेखा पर ` 437.02 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमश:` 41.41 करोड़ एवं ` 18.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ ।
5	यूएएसएल अनुबंधो में प्रावधान है कि जीआर में, अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधि मद को घटाये बिना शामिल होगा । लेखापरीक्षा ने पाया कि एयरटेल, वोड़ाफोन, आइड़िया, टाटा एवं एयरसेल के मामले में अवसरंचना भागीदारी से प्राप्त राशि को पूर्ण रुप से राजस्व में नहीं लिया गया इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यय में जमा किया गया है । इसके परिणामस्वरुप राजस्व भागीदारी हेतु जीआर/एजीआर की गणना के लिये अवसंरचना भागीदारी से राजस्व को कम बताया गया है । लेखापरीक्षा को जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ` 1175.45 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमश:` 101.60 करोड़ एवं ` 46.36 करोड़ का कम भुगतान हुआ ।
6	जीआर की परिभाषा के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिये फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए । लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरुआती वर्षो में राजस्व हिस्सेदारी की गणना की गणना करने के लिये फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया है तथापि, बाद में सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये फोरेक्स लाभ को जीआर /एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा फोरेक्स लाभ को आंशिक रुप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया । लेखापरीक्षा ने जीआर /एजीआर में ` 2095.86 करोड़ के फोरेक्स लाभ (रिलाइज्ड़) की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमश:` 174.48 करोड़ एवं ` 51.19 करोड़ का कम भुगतान हुआ ।
7	लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रुपस से प्रावधान हे कि ब्याज से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए । लेखापरीक्षा ने देखा कि छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरुआती वर्षो में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है । फिर भी, बाद में छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा ब्याज से प्राप्त आय को आंशिक रुप से राजस्व हिस्सेदारी गी गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया । लेखापरीक्षा ने जीआर / एजीआर में ` 6299.90 करोड़ की ब्याज से प्राप्त आय की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरुप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमश:` 535.23 करोड़ एवं ` 204.32 करोड़ का

	कम भुगतान हुआ।
8	लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार निवेशों से प्राप्त आय को भी राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर / ए जी आर में शामिल किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, टाटा और एयरसेल ने निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर / ए जी आर में शामिल नहीं किया। लेखापरीक्षा ने जी आर / ए जी आर में ` 3111.45 करोड़ निवेशों से आय को शामिल न करने को निकाला जिसके परिणामस्वरूप एल एफ तथा एस यू सी पर क्रमशः` 271.90 करोड़ और ` 93.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।
9	आर सी एल एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यू ए एस) लाइसेंसधारक है। रिलायंस कम्यूनिकेशन इन्फरास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) जो कि अवसंरचना प्रदाता लाइसेंस श्रेणी 'अ' के अंतर्गत आर सी एल द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक पूर्ण रूप से था। यह देखा गया कि जो राजस्व आर सी एल का राजस्व होना चाहिए था उसे आर सी आई एल के खाते में डाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, आर सी एल ने सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की सही राशि का भुगतान नहीं किया। आर सी एल द्वारा अपनी सहायक (आर सी आई एल) के साथ व्यवस्था के कारण जी आर / ए जी आर में कुल ` 4424.12 करोड़ की कमी निकाली गई, जिसके प्रभावी तौर पर लाइसेंस फीस और एस यू सी पर क्रमशः ` 405.08 करोड़ और ` 114.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ।